

प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 18.05.2021

अवैध अपमिश्रित शराब के साथ महिला गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के निष्कर्षण व विक्री के रोकथाम के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये थे जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व व निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा द्वारा गठीत की गयी टीम द्वारा क्षेत्र में होने वाले अवैध शराब निष्कर्षण व विक्री के सम्बन्ध में लगातार दृष्टि दिया जा रहा था इसी क्रम में दिनांक 17.05.2021 को सेखरुआ चौराहा बहद ग्राम महाराजगंज में अवैध अपमिश्रित शराब बेचते समय प्रेमा देवी उर्फ प्रेमलता पत्नी प्रेमचन्द्र निवासी सखरुआ थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 45 वर्ष को 10 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ साथ उसमें मिलाये जा रहे यूरिया, नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। यह अवैध अपमिश्रित शराब पीने से आम जनमानस के जीवन को खतरा बना हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 213/2021 धारा- 60 आबकारी अधि0 व 272 भादवि पंजीकृत कर गिरफ्तार शुदा महिला प्रेमा देवी उपरोक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्ता का नाम व पता:-

अभियुक्ता प्रेमा देवी उर्फ प्रेमलता पत्नी प्रेमचन्द्र निवासी सखरुआ थाना गुलरिहा गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

सखरुआ चौराहे के पास बहद ग्राम महाराजगंज, दिनांक 17.05.2021 समय 15.40 बजे

अभियुक्ता के पास से बरामदगी का विवरण

1. 10 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब
2. यूरिया (500 gm) व नौसादर (100gm)
3. शराब विक्रय के 100/- रुपये

अभियुक्ता जिन मुकदमे में गिरफ्तार किया गया का विवरण:-

मु0अ0सं0 213/2021 धारा- 60 आबकारी अधि0 व 272 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम पद

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी सरहरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री सरोज प्रसाद चौकी सरहरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. का0 रामनिवास चौकी सरहरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. का0 विकाश यादव चौकी सरहरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. म0का0 प्रियंका मौर्या थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर